

118

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल सिंहपुर)

धारा अर्न्तगत - 136 तैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 714/2025 दायर दिनांक 4/10/2025 निर्णय दिनांक 4/10/2025

रिपोर्ट

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.सं.	नाम	खाता नम्बर	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>1. शंकरी पति रतनलाल हिस्सा पूर्ण जाति गाडरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>			<p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>1. शंकरी पति रतनलाल पूर्ण जाति गाडरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. सा. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी के खाता संख्या 71 में वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक कपासन को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
1	राजपुरा	71	हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर	हस्ताक्षर निरदावर	हस्ताक्षर मोहर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

Ullolpant  
Kshetrasahib

ZARSHIR  
4-10-2025

04-10-25  
तहसीलदार कपासन  
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Handwritten signature

रिपोर्ट-118

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला चित्तौड़गढ़